68 (15) मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निदेशक बोर्ड स्तर के अधिकारियों की नियुक्तियों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

अधोहस्तारी को कार्मिक और प्रशिक्षण के दिनांक 17.8.2005 के का.ज्ञा.सं. 26(3)/ईओ/2004 – ए सी सी का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें उपर्युक्त विषय पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और दिशानिर्देशों को, जो केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में नियुक्तियों से संबद्ध हैं, परवर्ती पैराग्राफों में पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

2. जब भी कार्मिक संबद्ध योजनाएं अथवा नीतियां समीक्षाधीन होती हैं उस योजना अथवा नीति के अधीन प्रस्तावों पर तब तक, मौजूदा नियमों और विनियमों के अधीन कार्रवाई की जानी चाहिए। जब तक कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा संशोधनों को वास्तविक रूप से संशोधित नहीं कर दिया जाता तथापि ऐसे संशोधन मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के निदेशों के 6 महीने के भीतर किए जाने चाहिएं। अगर नीतियों/योजनाओं/नियमों के संशोधन की प्रक्रिया इस समयावधि के आगे चली जाती है तो संबंधित मंत्रालय/विभाग को नियमों को अंतिम रूप देने के लिए किए गए तारीख–वार उपायों को स्पष्ट करना होगा।

3(क) लोक उद्यमों में निदेशक बोर्ड स्तर की नियुक्तियों के संबंध में निर्धारित समय सीमा दिनांक 30 जुलाई, 1999 के का.ज्ञा. सं. 27 (12) ई ओ/94 (ए सी सी) द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित की गई थी। तत्पश्चात् इन अनुदेशों को निदेशक बोर्ड स्तरीय रिक्तियों को भरने की कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु समय सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने करने के लिए दिनांक 22.12.1999 के का.ज्ञा. सं. 27(12) ई ओ/94 (ए सी सी) द्वारा आशोधित किया गया था। इन अनुदेशों के लागू होने के बावजूद सतर्कता संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब/न्यायालयी मामलों/अपात्रता आदि के कारण निदेशक बोर्ड स्तरीय कुछ नियुक्तियों में विलंब जारी है। इसलिए इस शर्त के साथ कि ऐसी निदेशक बोर्ड स्तरीय रिक्तियों के संबंध में सरकारी उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिशें रिक्ति की तारीख से कम से कम 6 महीने पूर्व की जानी चाहिए, रिक्ति होने की तारीख से कम से कम 2 वर्ष पूर्व कार्रवाई प्रारंभ करना वांछनीय है। इसलिए उसे अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए संबंधित मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए।

(ख) निदेशक बोर्ड स्तर पर नियुक्त हुए व्यक्तियों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल सचिव के दिनांक 17.12.1986 के अ.शा.पत्र सं. 27(18)/ई ओ/86 ए सी सी में यथा विहित वर्तमान अनुदेशों में यह व्यवस्था है कि वृद्धि के प्रस्ताव पर रिक्ति की तारीख के चार महीने पूर्व कार्रवाई प्रारंभ की जानी चाहिए। अब यह निर्णय लिया गया है कि निदेशक बोर्ड स्तर की नियुक्तियों को बढ़ाने के प्रस्ताव के मामले में रिक्ति होने की तारीख से एक वर्ष पूर्व कार्रवाई प्रारंभ करनी चाहिएताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के विचारार्थ प्रस्ताव दो महीने पूर्व प्रस्तुत किए जाते हैं।

4. मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति ने सभी अनुसूचित सरकारी उद्यमों में अतिरिक्त कार्य भार सौंपने की अपने शक्ति प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से रिक्ति की तारीख से तीन महीने तक संबंधित मंत्रालयों को प्रत्यायोजित की है और अधिकतम छः महीने तक तीन महीने के बाद अतिरिक्त कार्य भार के लिए प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए स्थापना अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पूर्वोक्त मंत्रालयों/विभागों को प्रत्यायोजन निम्नलिखित के अधीन हैः–

(क) अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्य–भार सरकारी उद्यम में वरिष्ठतम कार्यात्मक निदेशक को ही सौंपा जाता है।

(ख) अधिकारी को सतर्कता की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त है।

(ग) रिक्ति को भरने के लिए समय रहते कार्रवाई की गई है और अतिरिक्त कार्य भार की मांग के प्रस्ताव में स्थिति स्पष्ट की गई है।

(घ) उपर्युक्त व्यवस्था में प्रकार के परिवर्तन के लिए मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(ड.) उपर्युक्त प्रत्यायोजन बी आई एफ आर में निर्दिष्ट कंपनियों पर लागू नहीं होगा। इस संबंध में अतिरिक्त कार्यभार सौंपने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए स्थापना अधिकारी को भेजा जाता रहेगा।

(च) पूर्ववर्ती उप पैराओं में उल्लिखित प्रत्यायोजित संबंधी प्रस्तावों से भिन्न प्रस्ताव को स्थापना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से औपचारिक आदेश जारी कराने की व्यवस्था करेगा।

5. मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति ने निदेश दिया है कि तीन महीने के बाद वर्तमान कार्य भार की व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त किया जाए और ऐसे मामले में पूर्ण अतिरिक्त कार्य भार पर विचार किया जाए वर्तमान कार्य भार सौंपने की अनुमति मंत्रालयों को प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तीन महीने तक दी गई है। जहां तक सरकारी उद्यमों का संबंध है कार्यात्मक निदेशक के पद का वर्तमान कार्यभार सौंपने का कोई अवसर नहीं होना चाहिए और उसे स्वतः ही अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक में निहित हो जाना चाहिए और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद के मामले में उसे वर्तमान आदेशों के अनुसार वरिष्ठतम कार्यात्मक निदेशक को सौंपा जाना चाहिए। तथापि इसमें जैसा कि ऊपर उप–पैरा 4(ड.) में दिया गया है, बी आई एफ आर में निर्दिष्ट कंपनियां शामिल नहीं हो सकती।

6. मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति ने अपनी संपूर्ण अनुमोदन प्रक्रिया की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद उपर्युक्त दिशानिर्देश अनुमोदित किए हैं। इसलिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से सख्ती से अनुपालन के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित उपर्युक्त दिशानिर्देशों को नोट करने का अनुरोध किया जाता है। इस कार्यालय ज्ञापन की प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

(लो.उ.वि. का 27 सितम्बर 2005 का का.ज्ञा. सं. 18(23)/2005 –जीएम – जी एल–70)